

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड

में

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक /नियम –

(The norms set by it for the discharge of its functions)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक नियम कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय – समय पर निर्धारित प्रशासनिक एवं वित्तीय मानक नियम विद्यमान है।

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली) उत्तराखण्ड को **हर्बल स्टेट** के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से संस्थान द्वारा राज्य में जड़ी-बूटी के समग्र विकास की कार्ययोजना का संचालन किया जा रहा है तथा संस्थान जड़ी बूटी के समग्र एवं सतत् विकास के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों में कृत्यों के निर्वहन हेतु कार्यरत है।

- ❖ उत्तराखण्ड की बहुमूल्य जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण।
- ❖ औषधीय पौधों की कृषि तकनीक विकसित करना व किसानों को कृषिकरण में सहायता प्रदान करना।
- ❖ औषधीय पादपों की गुणवत्ता नियंत्रण तथा सक्रिय तत्वों पर शोध एवं विकास।
- ❖ मानव संसाधन विकास व औषधीय एवं संग्रह पादपों के कृषिकरण संबंधी सूचना का प्रचार प्रसार करना।
- ❖ उत्तराखण्ड में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में लगी संस्थाओं / विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर दिशा निर्देशन प्रदान करना आदि।